



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31082026-275879
CG-DL-E-31082026-275879

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4599]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 27, 2026/भाद्र 5, 1948

No. 4599]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 27, 2026/BHADRA 5, 1948

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2026

का.आ. 4784(अ).— राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान अधिनियम, 2021 (2021 का 19) की धारा 28 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा भारत सरकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्याक का.आ. 5577(अ), दिनांक 3 दिसंबर, 2025 के माध्यम से प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रम संख्या 4 के सामने, कॉलम (2) में, “राज्य सभा” उप-शीर्षक के तहत प्रविष्टि के स्थान पर “डॉ. सिकंदर कुमार” प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किए जाएंगा।

[फा. सं. I-11033/3/2024-आईडी]

देवेश देवल, संयुक्त सचिव

नोट: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्याक का.आ. सं. 5577(अ.), दिनांक 3 दिसंबर, 2025 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th August, 2026

S.O. 4784(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 28 of the National Institutes of Food Technology, Entrepreneurship and Management Act, 2021 (19 of 2021), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Food Processing Industries, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 5577(E), dated the 3rd December, 2025, namely:—

In the said notification, in the table, against serial number 4, in column (2), for the entry under the sub-heading “Council of State”, the entry “Dr. Sikander Kumar” shall be substituted.

[F. No. I-11033/3/2024-ID]

DEVESH DEVAL, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 5577(E), dated the 3rd December, 2025.